मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

संख्या : 31/12/8/2018-ज.सं. दिनांक : 13.09.2019

प्रेस प्रकाशनी

(i) क.रा.बी. निगम के नए कार्यान्वित क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी.एम.जे.ए.वाई.) के अंतर्गत उपचार प्राप्त करना।

(ii) श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र) में 100 बिस्तर के क.रा.बी. अस्पताल तथा लेह (लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र) में 30 बिस्तर के अस्पताल की स्थापना।

(iii) अल्प उपयोगी औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डी.सी.बी.ओ.) की चिकित्सा सेवाओं को गैर बीमाकृत व्यक्ति के लिए खोलना।

(iv) सरोजनी नगर (लखनऊ) तथा जाजमऊ (कानपुर) स्थित क.रा.बी. निगम अस्पतालों को गैर बीमाकृत व्यक्तियों के चिकित्सा के लिए खोलना।

(v) माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा क.रा.बी. निगम के कर्मचारी श्री प्रमोद भगत, कुशल पैरा शटलर को 5.00 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा।

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 13.09.2019 को श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित 178वीं बैठक के दौरान सेवाओ में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

बैठक में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्ति थे, डॉ. हरक सिंह रावत, माननीय वन एवं वन्य जीवन, पर्यावरण तथा ठोस अपशिष्ट निपटान, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण, आयुष, आयुष शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार; श्री हीरालाल सामरिया, आई.ए.एस., सचिव, श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार; श्री रामकृपाल यादव, माननीय संसद सदस्य; सुश्री डोला सेन, माननीय संसद सदस्य; श्री जॉन बरला, माननीय संसद सदस्य; श्री राजकुमार, आई.ए.एस., महानिदेशक, क.रा.बी. निगम; श्रीमती अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार; श्रीमती संध्या शुक्ला, आई.ए. एण्ड ए.एस., वित्तीय आयुक्त, क.रा.बी. निगम तथा श्रीमती विभा भल्ला, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार; कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के प्रतिनिधि और क.रा.बी. निगम के माननीय सदस्य, राज्य सरकारों तथा क.रा.बी. निगम के प्रतिनिधि।

बैठक के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :-

(vi) क.रा.बी. निगम के नए कार्यान्वित क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी.एम.जे.ए.वाई.) के अंतर्गत उपचार प्राप्त करना।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, क.रा.बी. निगम की व्याप्ति में व्यापक वृद्धि हुई है। क.रा.बी. निगम के देश भर में नए कार्यान्वित क्षेत्रों में या तो राज्य सरकार या प्रत्यक्ष क.रा.बी. निगम या टाई - अप अस्पतालों के माध्यम से समग्र चिकित्सा देखरेख के उपबंध करने के लिए बहुआयामी पहुंच के माध्यम से अभियान शुरू किया है।

बैठक में, जहां राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंगीकार की गई हैं, वहां राज्यों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नामिकायित अस्पतालों के माध्यम से 102 नामोद्दिष्ट जिलों के नए कार्यान्वित क्षेत्र में योग्य क.रा.बी.लाभार्थियों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत मुफ्त चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस पहल के निर्विघ्न कार्यान्वयन में किसी भी समस्या को टालने के लिए, पंजीकरण के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाजिस्टिक/सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के माध्यम से व्यवहार किया जाएगा, जैसा चिकित्सा व्यय की रु. 5 लाख राशि की उच्चतम सीमा तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभार्थियों के लिए किया जाता है। इसके उपर व्यय के लिए व्यक्तिगत मामले को, क.रा.बी.लाभार्थी पर अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए क.रा.बी.निगम को भेजे जाएंगे।

इसी प्रकार, पी.एम.जे.वाई. लाभार्थी अल्प उपयोगी क.रा.बी. निगम अस्पतालों से आयुष्मान भारत अनुमोदित पैकेजों के अनुसार अस्पताल की चिकित्सा उपचार सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं जबकि एन.एच.ए. क.रा.बी. निगम को प्रत्यक्ष भुगतान

करेगा। आगे, विभिन्न राज्य सरकारें जो क.रा.बी. योजना अस्पताल स्कीम संचालित कर रही हैं, से क.रा.बी. निगम अस्पतालों की तरह पी.एम.जे.वाई. लाभार्थियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत क.रा.बी. योजना को पंजीकृत करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

II. **श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र) में 100 बिस्तर के क.रा.बी. अस्पताल तथा लेह (लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र) में 30 बिस्तर के अस्पताल की स्थापना :**

बैठक के दौरान, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र) में 100 बिस्तर के क.रा.बी. अस्पताल तथा लेह (लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र) में 30 बिस्तर के अस्पताल की स्थापना को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

III. **<u>अल्पउपयोगी औषधालय-सह-शाखा कार्यालय में उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं को गैर-बीमाकृत व्यक्तियों को प्रदान करने की शुरूआत :</u>**

क.रा.बी.निगम ने सिद्धांततः यह निर्णय किया है कि देश भर में स्थित सभी उल्पउपयोगी औषधालय-सह-शाखा कार्यालय की सेवाओं को अल्पउपयोगी अस्पतालों के समान नाममात्र प्रयोक्ता प्रभार लेकर गैर-बीमाकृत व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा।

IV. **<u>सरोजिनी नगर (लखनऊ) तथा जाजमऊ (कानपुर) स्थित क.रा.ब.निगम अस्पताल मे गैर-बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा सेवाओं का आरंभ :</u>**

पूर्व में, क.रा.बी.निगम ने अपने अल्पउपयोगी अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं को गैर-बीमाकृत व्यक्तियों को प्रदान करने का निर्णय किया था एवं तत्पश्चात अलवर (राजस्थान), बिहटा (बिहार), गुलबर्गा (कर्नाटक) बरेली एवं वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में भी गैर-बीमाकृत व्यक्तियों के लिए सेवाएं आरंभ की गईं। अब गैर-बीमाकृत व्यक्ति सरोजिनी नगर (लखनऊ) तथा जाजमऊ (कानपुर) स्थित अस्पतालों में रु. 10/- के नाममात्र प्रभार पर परामर्श सेवा तथा अंतरंग रोगी विभाग में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) पैकेज दर के 25 प्रतिशत दर पर चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

V. **माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा क.रा.बी. निगम के कर्मचारी अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री प्रमोद भगत, कुशल पैरा शटलर को 5.00 लाख रुपये का नकद पुरस्कार की घोषणा :**

बैठक के दौरान, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कुशल पैरा शटलर, श्री प्रमोद भगत को 5.00 लाख रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। श्री भगत क.रा.बी. निगम के एक कर्मचारी हैं जो कि ओड़िशा क्षेत्र में तैनात हैं।

पूर्व में गठित उप समिति जिसका गठन स्थायी नि:शक्तता हितलाभ/आश्रितजन हितलाभ दरों में वृद्धि के लिए कार्यप्रणाली पर निर्णय करने हेतु किया गया था, की रिपोर्ट को बैठक के दौरान स्वीकृति प्रदान की गई। उपर्युक्त के अलावा, बैठक के दौरान बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सेवाओं/हितलाभों और अन्य प्रशासनिक मामलों में सुधार से संबंधित लगभग 40 अन्य कार्यसूची/रिपोर्टिंग मदों पर चर्चा की गई तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>भारत में क.रा.बी.योजना</u>

कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है जिनमें समुचित चिकित्सा देखभाल, आवश्यकता के समय नकद हितलाभों जैसे - रोजगार चोट, बीमारी, मृत्यु आदि हैं। क.रा.बी.अधिनियम परिसरों/प्रसीमाओं के भीतर जहां 10 या अधिक कर्मचारी व्याप्त हैं, उनपर लागू होता है। 21000/- रुपये प्रतिमाह तक का वेतन पाने वाले कर्मचारी क.रा.बी.अधिनियम के तहत स्वास्थ्य बीमा व्याप्ति और अन्य हितलाभों के पात्र हैं। यह अधिनियम अब 10.33 लाख कारखानों और स्थापनाओं पर देशभर में लागू है जिनमें कामगारों की 3.43 करोड़ परिवार इकाइयां हैं। अब तक क.रा.बी.हितलाभार्थियों की कुल संख्या 13.32 करोड़ से ऊपर है। अपने प्रारंभ 1952 ई. से क.रा.बी.निगम अब तक 152 अस्पताल, 1489/ 174 औषधालय/आईएसएम इकाइयां, 815 शाखा/भुगतान कार्यालय और 63 क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर चुका है।